

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-490/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

हरलाल पुत्र गोमदा राम जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील भानीपुरा जिला चुरू राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू।
2. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा सरदारशहर।

-असल प्रतिवादीगण

3. कमला देवी पत्नि स्व. गोमदा राम जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील भानीपुरा जिला चुरू राजस्थान।
4. बिदो पुत्री गोमदा राम जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील भानीपुरा जिला चुरू राजस्थान।
5. बिमला देवी पुत्री गोमदा राम जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील भानीपुरा जिला चुरू राजस्थान।
6. मनोहारी देवी पुत्री गोमदा राम जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील भानीपुरा जिला चुरू राजस्थान।
7. महावीर पुत्र गोमदाराम जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील भानीपुरा जिला चुरू राजस्थान।
8. रामजस पुत्र गोमदाराम जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील भानीपुरा जिला चुरू राजस्थान।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री रामनिवास गोदारा वकील-वादी

श्री राजेश इन्दोरा वकील प्रतिवादी सं. 3 ता 8

पेरोकार राज-प्रतिवादी सं. 1

निर्णय दिनांक- 20.11.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण व पेरोकारराज की उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मोजा ढाणी मायला के खाता सं. 75 के खसरा नं. 1441/749 की 0.0945 है. 1443/750 की 1.3910 है. 1445/756 की 2.2130 है. कुल- 3.6985 है. तहसील पल्लू की भूमि में दर्ज वादी व तरबीबी प्रतिवादी नं. 3 ता 8 का निवास स्थान ढाणी मायला के स्थान पर देवासर तहसील भानीपुरा दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.11.2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

